न्यायालय सहायक कलक्टर, इटावा जिला कोटा (राज)

पीठासीन अधिकारी– अंजना सहरावत आर.ए.एस.

मिसल न.	तारीख दायरा	तारीख फैसला
86/2021	01/11/2021	13/06/2023

1. रामप्रसाद पुत्र मांग्या जाति माली निवासी रोण तह0 पीपल्दा जिला कोटा राज0

वादीगण

बनाम

राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा (राज.)

प्रतिवादी

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 167 रकबा 0.67 है0, खसरा संख्या 266 रकबा 0.19है0 खसरा सं0 268 रकबा 0.08 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.89 है0 भूमि वाके माल रोण तह0 पीपल्दा में स्थित है। उक्त भूमि आगे वाद पत्र में विवादित भूमि से संबोधित की गई है।

यह कि वादी रामप्रसाद का नाम, राजस्व अभिलेख में राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा गैर जिम्मेदाराना कार्य करते हुए बिना वादी के वास्तविक नाम जाने मात्र गांव के व्यक्तियों के कहे अनुसार मांग्या की मृत्यु के बाद भंवरलाल कर दिया। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों का उक्त कार्य गैर कानूनी व त्रुटिपूर्ण है तथा वादी अपने सही नाम की घोषणा करवाते हुए दर्ज करवाने का अधिकारी है।

यह कि मृतक मांग्या के वादी ही एकमात्र पुत्र है तथा वादी का नाम समस्त विधिमान्य दस्तावेजों पर रामप्रसाद पुत्र मांग्या ही दर्ज है। उक्त समस्त वैध दस्तावेजों से वादी के वास्तविक नाम यानि रामप्रसाद की ताईद होती है। वादी की मांग्या का केवल मात्र विधिक प्रतिनिधि एवं उत्तराधिकारी है। वादी ही उक्त भूमि पर वर्तमान में शांतिपूर्वक काबिज–काश्त है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

यह कि राजकीय दस्तावेजों में वादी का नाम रामप्रसाद दर्ज होने तथा राजस्व अभिलेख में भंवरलाल अंकित होने से वादी को कई प्रकार की भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। इस त्रुटि के कारण वादी राजकीय कृषक कल्याण योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। उक्त त्रुटि सुधार हेतु वादी द्वारा प्रतिवादी से निवेदन किया तो उन्होंने भी वादी को माननीय न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने हेतु ही कहा। इस परिस्थिति में वादी के पास इस सम्मानीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभावी अनुतोष उपलब्ध नहीं है।

यह कि वाद कारण माह मार्च 2020 के प्रथम सप्ताह में प्रतिवादी द्वारा वाद में वर्णित त्रुटि को सुधारने में समर्थता प्रकट करने एवं माननीय न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत करने हेतु कहने पर उत्पन्न हुआ।

यह कि प्रस्तुत वाद में राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि प्रतिवादी तहसीलदार पीपल्दा को भू–धारक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध वाद लाने के लिए धारा 80 दी0प्र0सं0 के प्रावधानों की पालना आवश्यक है किन्तु राजस्व अभिलेख में हो रहे उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन के कारण वादी को घोर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वाद की आपातिक दशा को देखते हुए वाद बगैर नोटिस दिए ही प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादी के विरूद्ध वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने हेतु धारा 80 (2) दी0प्र0सं0 के अधीन प्रार्थना पत्र पृथक् से प्रस्तुत है।

यह कि न्यायालय श्रीमान को प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः वाद प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से विनय है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का निर्णय एवं डिक्री पारित करने की कृपा करें कि ग्राम रोण तहसील पीपल्दा की कृषि भूमि खसरा सं0 167 रकबा 0.67 है0, खसरा संख्या 266 रकबा 0.19 है0, खसरा संख्या 268 रकबा 0.08 है कुल किता 3 कुल रकबा 0.89 है0 भूमि पर वादी का नाम भंवरलाल के स्थान पर रामप्रसाद अंकित कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजि...
इटावा जिला कोटा

वाद दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प शहनावदा में पेश हुई। प्रकरण पटवारी हलका व भू0 अ0 निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त की गई। पटवारी हलका व भू0अ0 निरीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में भंवरलाल पुत्र मांग्या निवासी रोण का ग्राम रोण की जमाबन्दी संवत 2076–79 में नाम के स्थान सम्मानजनक नाम भंवरलाल उर्फ रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल जांच की गई जो सही है। अतः सम्मानजनक नाम भंवरलाल उर्फ रामप्रसाद पुत्र मांगीलाल का नाम दुरुस्ती के आदेश प्रदान किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेजात के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी माल ग्राम ग्राम रोण तहसील पीपल्दा की कृषि भूमि खसरा सं0 167 रकबा 0.67 है0, खसरा संख्या 266 रकबा 0.19 है0, खसरा संख्या 268 रकबा 0.08 है कुल किता 3 कुल रकबा 0.89 है0 भूमि पर वादी का नाम भंवरलाल के स्थान पर रामप्रसाद दर्ज किया जावे। विवादित आराजी यदि रहनभार हेतु यथावत रहेगा। प्रकरण कैम्प के दौरान निस्तारित किया गया है डिक्री की आवश्यकता नहीं है। अतः तहसीलदार पीपल्दा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली वाद तामिल तक्मील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

अंजना सहरावत
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा